अनुसूची-II

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

नामांकन और अद्यतन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है **X** का अर्थ अस्वीकार्य है

- **नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन**

क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण *(पीओआर)* दस्तावेज**	**नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण *(पीडीबी)* दस्तावेज**
1.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल *एनआरआई* के लिए लागू)	✓	✓
3.	कानूनी संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	✓	**X**

- **नामांकन प्रकार II : दस्तावेज आधारित नामांकन**

क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण *(पीओआई)* दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज**	**नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज**
4.	अधीक्षक/*वार्डन*/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा *यूआईडीएआई* के मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)	✓	✓	**X**

• **नामांकन के इच्छुक प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों, या दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी), नेपाल और भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज़**				
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन व्यक्तियों के लिए जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों	✓	**X***	✓#1
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)* दस्तावेज	✓	**X***	✓#2
7.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी नागरिकों के लिए, जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के सहित वैध वीजा	✓	**X***	✓#3
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : (i) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (ii) 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र	✓	**X***	✓#4

* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते का प्रमाण के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

#1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।

#2 वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी) धारकों के लिए-* वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)।*

#3 विदेशी नागरिकों के लिए-वैध विदेशी पासपोर्ट।

#4 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए - नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र

नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :—

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट :

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय *(एनआरआई)* के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।

(ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।

(घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

(ङ) *पीओआर* दस्तावेज में बालक/बालिका और *एचओएफ* के नाम का उल्लेख होना चाहिए।

(च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/ अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।

(ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(ञ) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा ।

(ट) *एचओएफ* को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के प्रमाण *(पीओआई)* निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-

(i) भारतीय पासपोर्ट

(ii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/फोटो युक्त प्रमाणपत्र यथा अधिवास प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र आदि।

(iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र।

(iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता प्रमाणपत्र।

पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है **X** का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज**	**बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण *(पीओआर)* दस्तावेज**	**नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज**
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	**X**	**X**	**X**
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	**X**
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है	✓	✓	**X**	**X**
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	**X**	**X**	**X**
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	**X**	**X**	✓

7.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/ ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र	✓	✓	X	X
10.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि	✓	✓	✓	X
11.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	X
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/प्रमाणपत्र	✓	X	✓	✓

13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का प्रमाण बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है	✓	✓	**X**	**X**
14.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	✓
15.	*यूआईडीएआई* मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर निम्नलिखित द्वारा जारी प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद्	**X**	✓	**X**	**X**
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	**X**	✓	**X**	**X**
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	**X**	✓	**X**	**X**

	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी/ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामिती (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X	X
	(v) मान्यताप्राप्त संस्थान, आश्रय गृहों या अनाथालयों के अधीक्षक / *वार्डन* / मैट्रन / प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/ बालिकाओं के लिए)	✓	✓	X	X
	(vi) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान (संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित, केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X

	(vii) ग्राम पंचायत प्रमुख/प्रधान या मुखिया/गांव बुरा/समकक्ष प्राधिकारी (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	**X**	✓	**X**	**X**
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, 3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
17.	पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/ पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार	**X**	✓	**X**	**X**
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (1 वर्ष से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**

22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	**X**	✓	**X**	**X**
23.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	**X**	**X**	✓	✓
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	**X**	**X**	✓	**X**
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेशन दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	**X**	**X**
26.	कानूनी संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	**X**	**X**	✓	**X**
नामांकन के इच्छुक प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों, या दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी), नेपाल और भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज़					
27.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन व्यक्तियों के लिए जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों	✓	**X**	**X**	✓#1
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)* दस्तावेज	✓	✓	**X**	✓#2

29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से एक ही पते के कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (i) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (ii) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (iii) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र	✓	X	X	✓#3
30.	भारत में ठीक पिछले 12 महीनों में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक रहे अन्य विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा	✓	X	X	✓#4
31.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (*ओसीआई* कार्ड धारकों, *एलटीवी* दस्तावेज धारकों और नेपाल/भूटान के नागरिकों को छोड़कर)	X	✓	X	X

#1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।

#2 वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी) धारकों के लिए*- वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)*।

#3 विदेशी नागरिकों के लिए-वैध विदेशी पासपोर्ट।

#4 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए - नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र

नोट : उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत :—

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(ख) एक दस्तावेज को पहचान के प्रमाण *(पीओआई)* दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।

(ग) एक दस्तावेज को पते के प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पहचान का प्रमाण *(पीओआई)* और पते का प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) सभी *पीओआई*, *पीओए* और *डीओबी* दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते है ।

(छ) यदि व्यक्ति के पास *पीओआई* और *पीओए* दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।

(ज) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पहले *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान *एचओएफ* को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(झ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ञ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ट) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ठ) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक मान्य होगा।

(ड) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर)।

किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के अद्यतन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची

✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	**दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज**	**बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण *(पीओआर)* दस्तावेज**	**नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण *(पीडीबी)* दस्तावेज**
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓ *
2.	पैन कार्ड / ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓ *

7.	केंद्र सरकार /राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	**X**	✓	✓ *
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	**X**	**X**
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	**X**	**X**	**X**
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाणपत्र	✓	✓	**X**	**X**
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाणपत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाणपत्र, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि	✓	✓	✓	**X**
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित *पीओआई* दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	**X**
13.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	**X**

14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)	✓	**X**	**X**	**X**
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	**X**	✓	✓ *
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाणपत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का प्रमाण बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है	✓	✓	**X**	**X**
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	**X**	✓	**X**	**X**

18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टेम्प सहित) / डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जरीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
19.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	✓ *
20.	*यूआईडीएआई* मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर निम्नलिखित द्वारा जारी प्रमाणपत्र :				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	**X**	✓	**X**	**X**
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी	**X**	✓	**X**	**X**
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	**X**	✓	**X**	**X**

	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी/ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामिती (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X	X
	(v) मान्यताप्राप्त संस्थान, आश्रय गृहों या अनाथालयों के अधीक्षक / *वार्डन* / मैट्रन / प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/ बालिकाओं के लिए)	✓	✓	X	X
	(vi) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान (संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित, केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X
	(vii) ग्राम पंचायत प्रमुख/प्रधान या मुखिया/गांव बुरा/समकक्ष प्राधिकारी (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X

21.	बिजली का बिल (*प्रीपेड / पोस्टपेड* बिल, 3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
22.	पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
23.	टेलीफोन *लैंडलाइन* बिल/*पोस्टपेड* मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
24.	संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार / पट्टा करार / अवकाश और लाइसेंस करार	**X**	✓	**X**	**X**
26.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (1 वर्ष से पुराना न हो)	**X**	✓	**X**	**X**
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	**X**	✓	**X**	**X**
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र	**X**	**X**	✓	✓

30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	**X**	**X**	✓	**X**
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेशन दस्तावेज *(पीआईडी)*	✓	✓	**X**	**X**
32.	परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति *एचओएफ* के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल *एचओएफ* के पते के मामले में वैध (केवल *एचओएफ* के *इमिडिएट* परिवार के सदस्य/सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	**X**	**X**	✓	**X**
33.	कानूनी संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	**X**	**X**	✓	**X**
प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों, या दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी), नेपाल और भूटान के नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज़					
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध *ओसीआई* कार्ड	✓	**X**	**X**	✓#1
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीज़ा *(एलटीवी)* दस्तावेज	✓	✓	**X**	✓#2

36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से एक ही पते के कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं : (i) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र (ii) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (iii) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र	✓	**X**	**X**	✓#3
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा	✓	**X**	**X**	✓#4
38.	विदेशी नागरिकों के लिए एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (*ओसीआई* कार्ड धारकों, *एलटीवी* दस्तावेज धारकों और नेपाल/भूटान के नागरिकों को छोड़कर)	**X**	✓	**X**	**X**
नाम, लिंग और जन्म तिथि *(डीओबी)* के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज :					

39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित पुराने नाम के किसी सहायक *पीओआई* दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक की डिक्री / गोद लेने का प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र	✓	X	X	X
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाणपत्र	✓	X	X	X
41.	जन्मतिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अधीन अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र के साथ अधिसूचित प्रारूप के अनुसार स्वघोषणा पत्र	X	X	X	✓

*0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

#1 ओसीआई कार्ड धारकों के लिए- वैध विदेशी पासपोर्ट।

#2 वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी) धारकों के लिए-* वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी) दस्तावेज*।

#3 नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए - नेपाल/भूटान का पासपोर्ट या नेपाल/भूटान की नागरिकता का प्रमाणपत्र

#4 विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट।

नोट: उपर्युक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हो, नामत : —

(क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो);

(ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;

(ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या *यूआईडीएआई* को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापन योग्य है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका प्रमाण नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(ख) एक दस्तावेज को पहचान के प्रमाण *(पीओआई)* दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।

(ग) एक दस्तावेज को पते के प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेज को पहचान का प्रमाण *(पीओआई)* और पते का प्रमाण *(पीओए)* दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।

(ङ) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना का विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) *पीओआई, पीओए* और *पीडीबी* दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के आधार अद्यतित नहीं किए जा सकते हैं।

(छ) *व्यक्ति के नाम पर पीओआई* और *पीओए* दस्तावेज न होने की स्थिति में, परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित अद्यतन का उपयोग किया जाएगा।

(ज) *एचओएफ* आधारित अद्यतन करने से पहले *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए अद्यतन के दौरान *एचओएफ* को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।

(झ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।

(ञ) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) के मामले में, आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अधीन बनाए नियमों के अधीन अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, पूर्ण नाम के प्रथम अद्यतन अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

(ट) विदेशी नागरिकों के लिए आधार में अद्यतन केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।

(ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ड) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(ढ) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक मान्य होगा।

(ण) कृपया जन्म तिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें-*[@]*

(त) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - *[$]*

(थ) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया *यूआईडीएआई* क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

(द) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर)।

(ध) विवाह के पश्चात अपने नाम में परिवर्तन करने वाली महिला की जन्मतिथि अद्यतन करने के मामले में, विवाह से पूर्व जारी किए गए जन्मतिथि प्रमाण के दस्तावेज को विवाह प्रमाणपत्र या विवाह के पश्चात नाम में परिवर्तन को प्रमाणित करने वाले संबंध के किसी अन्य प्रमाण दस्तावेज के साथ स्वीकार किया जाएगा।

(न) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार पर नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) के नाम में मामूली अद्यतन (जैसे उपनाम में जोड़ना/हटाना/परिवर्तन, ध्वन्यात्मकता के कारण वर्तनी में परिवर्तन, विस्तार/ संक्षिप्ति, बशर्ते प्राथमिक नाम अपरिवर्तित रहे) पर संशोधित नाम वाले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर विचार किया जाएगा।

@- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf

$- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08.2014.pdf

राहुल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./208/2025-26]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 14 सितंबर, 2016 को, अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू (ई), दिनांक 25 जनवरी, 2024 (27 जनवरी, 2024 को प्रकाशित) के तहत किया गया था।